दिनांक 14.10.2019
प्रेस विज्ञप्ति 18/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह के संबंध में दिये निर्देश

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह द्वितीय (दिनांक 14.10.2019 से 20.10.2019 तक) को सफलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से मनाये जाने के सम्बन्ध में यथावश्यकता सम्बन्धित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित कार्यक्रमों के अनुरूप अपेक्षानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

1.प्रथम दिवस - सड़क सुरक्षा संदेश संचार तथा सभी स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन:-

- सभी डीलर्स, गैराज, सर्विस सेन्टर, विद्यालयों, मॉल सार्वजनिक स्थान में सड़क सुरक्षा संबंधी पोस्टर/बैनर/स्टेन्डी लगाई जाय। परिवहन यानों पर रोड सेफ्टी स्टिकर लगाये जाय।
- जनपद में कार्यरत सभी ऑटोमोबाइल डीलर्स, परिवहन ऑपरेटर्स, यूनियन, शिक्षण संस्थाओं, गैराज/सर्विस सेन्टर स्वामी, विद्यालय स्तरीय सुरक्षा समिति में नामित अभिभावक तथा एन0जी0ओ0 का सहयोग प्राप्त किया जाय।
- वर्कशॉप के प्रतिभागियों को सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराते हुए इन प्रयासों को और सुदृढ़ करने के लिए सुझाव लिये जाय।
- परिचर्चा में मोटरवाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा, मोटरवाहन अधिनियम, 1988 में किये गये नूतन प्राविधानों/बदलावों पर चर्चा की जाय।

2.द्वितीय दिवस-नियमों के पालन के प्रति शिविर लगाकर जागरूकता संबंधी कार्यवाही:-

- विद्यालयों के सहयोग से सड़क सुरक्षा रैली निकाली जाय।
- मुख्य मार्गो पर शिविर लगाकर सीटबेल्ट/हेलमेट/ओवरस्पीडिंग/रेड लाइट जंपिंग/नशे की हालत में वाहन चलाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल एवं ईयर-फोन का प्रयोग करने संबंधी अपराधों पर जन-मानस को जागरूक किया जाये।

3.तृतीय दिवस- तहसील स्तर पर सड़क सुरक्षा संबंधी गोष्ठी का आयोजन:-

- प्रत्येक जनपद में सदर तहसील को छोड़ कर शेष तहसीलों में परिवहन विभाग के सहयोग से स्टेक होल्डर्स की सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों पर परिचर्चा की जाय।

- इस परिचर्चा में सड़क निर्माण करने वाले विभाग के अधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर आदि को शामिल करने के अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी, तहसील के अन्तर्गत आने वाले गांवों के प्रधान, प्रमुख किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।
- यथा संभव परिवहन विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की चर्चा की जाये।

4.<u>चतुर्थ दिवस</u> — कक्षा 09 से 12 तक के छात्रों की सड़क सुरक्षा विषय पर चित्रकला, रंगोली एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जानाः—

- जनपद के अधिक से अधिक विद्यालयों की सहभागिता, सुनिश्चित कराते हुए जीआईसी विद्यालय में कक्षा 09 से 12 तक के छात्रों के मध्य चित्रकला, रंगोली एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय तथा चित्रकला, रंगोली एवं क्विज प्रतियोगिता में पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया जाय।

5.<u>पंचम दिवस</u> — चालकों हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजनः—

- प्रत्येक जनपद में स्वास्थ्य विभाग तथा परिवहन निगम के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये, जिसमें व्यवसायिक चालकों, परिवहन निगम के चालकों सहित उनका स्वास्थ्य परीक्षण करया जाय। ट्रक यूनियन, बस यूनियन एवं टैक्सी/टैम्पो/ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाय।

6.<u>षष्टम् दिवस</u> — बसो के चालकों/परिचालकों में सड़क—सुरक्षा संबंधी जागरूकता लाये जाने हेतु निगम की डिपो में कार्यशाला का आयोजनः—

- परिवहन निगम के जिला स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन कर परिवहन निगम के चालकों को परिचर्चा में शामिल किया जाये।
- सड़क पर वाहन चलाते समय मुख्य रूप से बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में चालक को अवगत कराया जाये, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आ सके।

7. <u>सप्तम दिवस —</u> अन्तिम दिवसः—बाइकोत्थॉन आदिः—

- जनपद के समस्त ऑटोमोबाइल डीलर्स, पेट्रोल पम्प, इंश्योरेंस कम्पनी, फाइनेंस कम्पनी के सहयोग से उनके सभी कर्मचारियों की एक बाइक रैली का आयोजन सड़क सुरक्षा व पर्यावरण को सुरक्षित रखने के संदेश के साथ किया जाय, इसमें सड़क सुरक्षा के स्लोगन वाली झण्डियां, टी—शर्ट व कैप आदि का प्रयोग किया जाय।
- यातायात नियंत्रण में विद्यालयों के एनसीसी/एनएसएस छात्रों का सहयोग लिया जाय।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि तिथिवार निर्धारित कार्यक्रमों के अपेक्षानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें

जनपद कुशीनगर/थाना सेवरही

- **शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिलें**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 14.10.2019 को थाना सेवरही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनरहा रेगुलेटर के पास चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर शातिर वाहन चोर रवि को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 06 मोटर साइकिलें, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि जनपद कुशीनगर व आसपास के जनपदों से वाहनों की चोरी कर, उनकी नम्बर प्लेट बदलकर ग्राहक मिलने पर चोरी के वाहनों को बेच देते थे। अभियुक्त द्वारा वाहन चोरी की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना सेवरही पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रवि निवासी वार्ड नं0 12 मालवीय नगर कस्वा सेवरही थाना सेवरही जनपद कुशीनगर स्थायी पता जगीरहा थाना ठकरहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार।

बरामदगी

1. चोरी की 06 मोटर साइकिलें
2. 01 मोबाइल फोन आदि

जनपद बरेली/थाना बिथरी चैनपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल व मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 13.10.2019 की सांय थाना बिथरी चैनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चांदपुर तिराहा में चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने

का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिसटीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरसकार घोषित अपराधी रमन कालिया उर्फ जफर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल व मोबाइल फोन बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना इज्जतनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 709/2019 धारा 394 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिथरी चैनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रमन कालिया उर्फ जफर निवासी परतापुर जीवन सहायत थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल
3. 01 मोबाइल फोन

जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली पडरौना

- **15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 14.10.2019 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सोहरौना में घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी मोईनुल हक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पडरौना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 463/2018 धारा 376/323/336/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मोईनुल हक निवासी सोहरौना थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में शाातिर अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **20 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 13.10.2019 की रात्रि थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दोस्तपुर पुल के सिकन्द्राबाद साइड में चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अपराधी पवन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 20 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध राजस्थाना, हरियाणा व जनपद अलीगढ, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों में लूट, हत्या का प्रयास, हत्या व आर्म्सएक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है एवं अभियुक्त कुख्यात अपराधी गज्जू गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. पवन निवासी मिलकपुर गुर्जर थाना फूलबाग जिला अलवर(राजस्थान)।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस
2. 20 जीवित कारतूस
4. 01 मोटर साइकिल

जनपद सम्भल/थाना नखासा

- **चोरी की घटना का अनावरण, 03 शातिर चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 56 हजार रू0 नगद**
- **चोरी के 02 जोड़ी सोने के बुन्दे बरामद**

दिनांक 14.10.2019 को थाना नखासा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शहबाजपुरा से 03 शातिर चोर 1.सुबहान, 2.सारिक, 3.मिराज को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 56 हजार रू0 नगद, चोरी के 02 जोड़ी सोने के बुन्दे बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.09.2019 को वादी गुफरान के घर से अज्ञात चोरों द्वारा जेवर व रूपयों की चोरी करने के सम्बन्ध में थाना नखासा पर मु0अ0सं0 480/2019 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा थाना नखासा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 480/2019 धारा 457/380 भादवि की घटना कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना नखासा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुबहान निवासी शहबाजपुरा थाना नखासा जनपद सम्भल।
2. सारिक निवासी शहबाजपुरा थाना नखासा जनपद सम्भल।
3. मिराज निवासी तिमरदास सराय थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1. चोरी के 56 हजार रू0 नगद
2. चोरी के 02 जोड़ी सोने के बुन्दे

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना राजेसुल्तानपुर

02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पांच बोरियों में 20–20 किलोग्राम अवैध गांजा(एक कुन्तल)आदि बरामद

दिनांक 13.10.2019 की सांय थारा राजेसुल्तानपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना राजेसुल्तानपुर अन्तर्गत घेराबंदी कर शातिर अभियुक्तों 1.मनमोहन, 2.हरिमोहन को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पांच बोरियों में 20–20 किलोग्राम अवैध गांजा(01 कुन्तल), तराजू–बाट आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना राजेसुल्तानपुर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मनमोहन निवासी अहिरौली रानीमऊ थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
2. हरिमोन निवासी अहिरौली रानीमऊ थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1. पांच बोरियों में 20–20 किग्राम अवैध गांजा(01 कुन्तल)
2. तराजू–बाट आदि

जनपद झांसी/थाना सीपरी बाजार

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के जेवरात**
- **03 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 13.10.2019 की सांय थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सीपरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत नेहरू पार्क से 03 शातिर अभियुक्तों 1.राहुल, 2.अशोक, 3.सुनील को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के सोने के जेवरात, 03 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस व 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनमें अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद झांसी व प्रयागराज के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 31 अभियोग पंजीकृत हैं।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने लूट आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. राहुल निवासी रेलवे कालोनी रानी लक्ष्मीबाई नगर थाना प्रेमनगर जनपद झांसी।
2. अशोक निवासी मोहल्ला रक्सा थाना रक्सा जनपद झॉसी।
3. सुनील निवासी बडीगढी के पास रक्सा थाना रक्सा जनपद झॉसी।

<u>बरामदगी</u>

1. लूट के सोने के जेवरात
2. 03 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस
3. 02 मोटर साइकिल

<u>जनपद मथुरा/थाना कोसीकलां</u>

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 14.10.2019 को थाना कोसीकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरूस्कार घोषित अभियुक्त रामकुमार को माहौली थाना हसनपुर जनपद पलवल, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोसीकलॉ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 808/2018 धारा 302 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोसीकलां द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. रामकुमार निवासी माहौली थाना हसनपुर जनपद पलवल, हरियाणा।

––––––